

## न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या  
मैनुअल नं. 82/प्रा.पत्र/2024  
(GCMS No. 2024/131)

तारीख दायरा  
20.08.2024

तारीख निर्णय  
13.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

### बनाम

मांगू आ. पृथ्वी जाति बंजारा,  
निवासी ग्राम बिजाड़ी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

### निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मांगू आ. पृथ्वी बंजारा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 204/13 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 82/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/131 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार मांगू पुत्र पृथ्वी बंजारा की मृत्यु हो चुकी है एवं आवंटी के वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के वारिसान की सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

  
जिला कलक्टर; बून्दी



तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी गैर खातेदार एवं उसके गारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि मांगू आ. पृथ्वी जाति बंजारा निवासी ग्राम बिजाड़ी को दिनांक 26.11.1975 को भूमि खसरा सं. 13 रकबा 10 बीघा वाकोग्राम बिजाड़ी का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार मांगू आ. पृथ्वी जाति बंजारा की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके गारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाना अंकित किया है। इस प्रकार गारिसान की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकरण में मृतक अप्रार्थी के कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गणेशपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 204 / 13 रकबा 1.6187 हैक्टियर पर अप्रार्थी मांगू आ. पृथ्वी जाति बंजारा गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खसरा गिरदावरी रबी (उच्चालू) संवत 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पड़ी हुई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी या उसके गारिस का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होना, आवंटी का आवंटित भूमि पर 48 वर्षों तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना तथा आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके गारिसान की जानकारी के अभाव में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मृतक व्यक्ति के नाम ही दर्ज रेकार्ड होना आदि तथ्यों से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।



उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मांगू आ. पृथ्वी जाति बंजारा निवासी ग्राम बिजाड़ी को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 13 रकबा 10 बीघा ( हाल खसरा संख्या 204/13 रकबा 1.6187 हैक्टेयर ) वाके ग्राम बिजाड़ी दिनांक 26.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल वक्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )  
जिला कलेक्टर, बन्दी  
जिला कलेक्टर बन्दी

